



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245090
CG-DL-E-11042023-245090

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]
No. 93]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

सं. 4/2023

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए देश-वार मात्रात्मक प्रतिबंधों (क्यूआर) के अधीन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (आईपीए) के आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/विविध-3/एएम-04/पीसी-2 [क]/ई-1877.—विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 तथा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) कोड 29051220 के तहत अधिसूचना संख्या 64/2015-20 दिनांक 31.03.2023 द्वारा यथा अधिसूचित वर्ष 2023-24 के लिए देश-वार मात्रात्मक प्रतिबंधों (क्यूआर) के अधीन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (आईपीए) के आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 1,32,440 मीट्रिक टन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल [आईटीसी (एचएस) कोड 29051220 के तहत] को निम्नानुसार की गई देश-वार आवंटित मात्रा के अनुसार आयात की अनुमति दी जाएगी:

देश ↓	मात्रात्मक प्रतिबंध (मीट्रिक टन)				
वित्तीय वर्ष →	2023-24				
तिमाही →	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	कुल
चीन लोक गणराज्य	9,924	9,924	10,526	10,526	40,900
जर्मनी	2,116	2,116	2,244	2,244	8,720
जापान	1,496	1,496	1,587	1,587	6,166
कोरिया गणराज्य	6,290	6,290	6,672	6,672	25,924
नीदरलैंड	2,421	2,421	2,568	2,568	9,978
सिंगापुर	2,668	2,668	2,830	2,830	10,996
ताइवान	4,296	4,296	4,557	4,557	17,706
संयुक्त राज्य अमेरिका	2,214	2,214	2,348	2,348	9,124
अन्य देश	710	710	753	753	2,926
कुल योग	32,135	32,135	34,085	34,085	1,32,440

3. पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने और मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) के आवंटन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

- इस तरह के किसी भी आयात को करने से पहले, भारतीय आयातक डीजीएफटी वेबसाइट (<https://dgft.gov.in>) पर सेवाएं → आयात प्रबंधन प्रणाली → आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करें, पर नेविगेट करके पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा
- पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2023 है।**
- पंजीकरण प्रमाणपत्र के अन्तर्गत प्रभावित आयात का विवरण, यदि कोई पहले लाभ लिया गया हो तो आवेदन के भाग के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- पंजीकरण प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक वैध रहेगा।
- पंजीकरण प्रमाणपत्र के उपयोग की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाएगी और इसे प्रभावित वास्तविक आयात के आधार पर संशोधित किया जा सकता है। आरसी धारकों को निदेश दिया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही (जून/सितंबर/दिसंबर) के अंत तक अपने आयात और अभ्यर्पण के लिए मात्रा, यदि कोई हो, का विवरण प्रदान करें। इस तरह के विवरण ईमेल: policy2-dgft@gov.in और ddg1import-dgft@gov.in के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- किसी तिमाही में अनुमत कुल आयात उस तिमाही और अगली तिमाही के कुल से अधिक नहीं होगा जैसा कि ऊपर तालिका में दिया गया है। तदनुसार एक तिमाही हेतु कोई अत्यधिक रूप से प्रयुक्त क्यूआर की अगली तिमाही के क्यूआर से कटौती की जाएगी।
- एक तिमाही में किसी अप्रयुक्त क्यूआर को अगली तिमाही में जोड़ा जाएगा।
- यदि किसी देश/विशिष्ट द्वारा क्यूआर का उपयोग कर लिया जाता है, तो आरसी धारक अन्य देश-विशिष्ट क्यूआर की तुलना में उपलब्ध अवशिष्ट मात्रा की मांग कर सकता है।
- किसी एकल आरसी के लिए अधिकतम मात्रा सीमा इस निदेशालय द्वारा प्राप्त आवेदनों की उचित जांच के बाद तय की जाएगी।
- डीजीएफटी के पास किसी भी समय, जैसा उचित समझा जाए, तौर-तरीकों/आवंटन प्रक्रिया में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

वर्ष 2023-24 के लिए देश-वार मात्रात्मक प्रतिबंधों (क्यूआर) के अधीन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल [आईटीसी (एचएस) कोड 29051220 के तहत] के आयात के लिए आवेदन करने पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th April, 2023

No. 4 / 2023

Subject: Procedure for obtaining Registration Certificate for import of Isopropyl Alcohol (IPA) subject to Country-wise Quantitative Restrictions (QR) for the year 2023-24 – reg

F. No. 01/89/180/Misc-3/AM-04/PC-2[A]/E-1877.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Director General of Foreign Trade hereby lays down the procedure for issuance of Registration Certificate (RC) for import of Isopropyl Alcohol (IPA) under ITC(HS) Code 29051220 subject to Country-wise Quantitative Restrictions (QR) for the year 2023-24 as notified, vide Notification No. 64/2015-20 dated 31.03.2023.

2. For the financial year 2023-24, a total of 1,32,440 MTs of Isopropyl Alcohol [under ITC(HS) Code 29051220] shall be allowed for import as per the country-wise allotted quantity given hereunder:

Country ↓	Quantitative Restriction (in MT)				
Financial Year →	2023-24				
Quarter →	1 st	2 nd	3 rd	4 th	Total
China PR	9,924	9,924	10,526	10,526	40,900
Germany	2,116	2,116	2,244	2,244	8,720
Japan	1,496	1,496	1,587	1,587	6,166
Korea RP	6,290	6,290	6,672	6,672	25,924
Netherland	2,421	2,421	2,568	2,568	9,978
Singapore	2,668	2,668	2,830	2,830	10,996
Taiwan	4,296	4,296	4,557	4,557	17,706
USA	2,214	2,214	2,348	2,348	9,124
Other Countries	710	710	753	753	2,926
Grand Total	32,135	32,135	34,085	34,085	1,32,440

3. The procedure for applying for RC and allocation of QR is as follows:

- Before effecting any such imports, the Indian importer shall apply online for a Registration Certificate on the DGFT Website (<https://dgft.gov.in>) by navigating to *Services → Import Management System → Apply for Registration Certificate for Imports*
- Last date of filing of online application for obtaining RC is 20th April 2023.**
- Details of imports affected against RC, if any availed earlier shall be provided as part of the application.
- RC shall be valid till end of the Financial Year 2023-24
- Utilization of RCs shall be reviewed on quarterly basis and may be revised based on the actual imports affected. RC holders are directed to provide statement of their imports and quantities for surrender, if any, by the end of each Quarter of the Financial Year (June/September/December). Such details should be submitted through email at: policy2-dgft@gov.in and ddg1import-dgft@gov.in
- Total imports allowed in any quarter shall not exceed the total of that quarter and the subsequent quarter as in the Table above. Accordingly, any excessively utilised QR for a quarter shall be deducted from the QR for the next quarter.
- Any unutilised QR for a quarter shall be added to subsequent quarter.
- In case, any country-specific QR is exhausted, the RC holder may seek available residual quantity vis-à-vis other country-specific QRs.

- ix. The maximum quantity cap for any single RC shall be fixed by this Directorate after due examination of the applications received.
- x. The DGFT reserves the right to make any changes in the modalities/allocation process at any point of time, as deemed fit.

Effect of this Public Notice:

Procedure for filing application/issuance of Registration Certificate (RC) for import of Isopropyl Alcohol [under ITC(HS) Code 29051220] subject to Country-wise Quantitative Restrictions (QR) for the year 2023-24 have been specified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.